

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प भालोठ)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुझुनूं (राज0)
पीठासीन अधिकारी-

मिसल संख्या:- 06/2021

जीसीएसएल नं. 2021/290

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

-:आदेश:-

दिनांक 01/11/2021

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत भालोठ व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भालोठ पटवार मण्डल भालोठ की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 59 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भालोठ	59	जगडेव पुत्र गिरधारी	जयडेव पुत्र गिरधारी

नोट - रहन यदि कोई हो तो निर्णय/आदेश की पालना रहनमुक्त के पश्चात करे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
दिनांक 01/11/2021

क्रमांक :- राजस्व/2021/210-11

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)
2. प्रार्थी खल्येन्दु पुत्र ओमप्रकाश जाहि जाट निवासी ठाणी भालोठ को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
राजस्थान सरकार
एवं उपखण्ड अधिकारी
जिला (राजस्थान)